# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 20 / 2025

प्रविष्टि दिनांक 28.05..2025

1 रामेश्वर पुत्र सुंदरा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
2 रामप्रसाद पुत्र सुंदरा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
3 बजरगा पुत्र सुंदरा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
4 रमेश पुत्र सुंदरा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.

–अपीलांट्स

बनाम

राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 02.12.2024 मिसल नम्बर 1481 / 2024**

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम राजकीय अभिभाषक

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक 06.01.2026**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2024 के द्वारा अपीलान्ट्स को मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 0.62 है0 में से 0.15 है0 किस्म चाह–1 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा में मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिकमण करने के कारण अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल कर, 60 / रू. पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में 50 गुणा पेनल्टी व सिविल कारावास बाबत वर्णन किया गया है। बेदखली बाबत कोई वर्णन नोटिस में नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 287 खातेदारी की भूमि है जो मन्दिर के नाम है तथा मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा के नाम है। भूमि किसी प्राकृतिक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या शाश्वत नाबालिग मूर्ति के नाम है, तो

**जिला कलेक्टर**
**टोंक**

ऐसी भूमि के संबध मे धारा 91 की कार्यवाही नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाग के परिपत्र दिनाक 12.09.2018 के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया है, उसके संबध मे अपीलान्ट का स्पष्ट निवेदन है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जारी परिपत्र विधि की परिभाषा में नहीं आता है। परिपत्र केवल मात्र 6 माह के लिए वैध होते है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिकमी नहीं है, बल्कि सहमति से काबिज है तथा आज से काबिज नहीं है, बल्कि विगत 3–4 पीढियों से अपीलान्ट्स का परिवार ही उक्त आराजी पर काबिज है तथा आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने उसे बेदखल नहीं किया है। आलोच्य आदेश की अपीलान्ट्स को पूर्व में कोई जानकारी नही थी तथा आलोच्य आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। नायब तहसीलदार को मन्दिर माफी की भूमि से बेंदखल करने का क्षेत्राधिकार धारा 91 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त नही है,उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने से शून्य है,क्योकि उक्त भूमि सिवायचक या चरागाह नही है,बल्कि मन्दिर माफी की भूमि है,जिसमे अपीलाट द्वारा खेती की जा रही है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 16.05.2025 को तब हुई जब आलोच्य आदेश की पालना में अपीलान्ट्स को उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु राजस्व अधिकारियों की टीम गई, इस पर अपीलान्ट्स ने आलोच्य निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन दिया जो नकल दिनांक 16.05.2025 को ही प्राप्त हुई, उसके बाद यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत है तथा विलम्ब को माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस मे कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 287 रकबा 0.62 है0 किस्म चाह–1 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा में मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर अतिकमण कर सरसो कि फसल काश्त करने पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता है और मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट्स की ओर से रामेश्वर की तामील हुई है। अपीलान्ट्स न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 287 रकबा 0.62 है0 में से 0.15 है किस्म चाह–1 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा पर अतिकमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिकमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि नायब तहसीलदार को मन्दिर माफी की भूमि से बेंदखल करने का क्षेत्राधिकार धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त नही है,उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने से शून्य है,क्योकि उक्त भूमि सिवायचक या चरागाह

जिला कलेक्टर
टोंक

नही है,बल्कि मन्दिर माफी की भूमि है,जिसमे अपीलांट द्वारा खेती की जा रही है,परन्तु राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज.सरकार के द्वारा जारी परिपत्र कमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दू संख्या 5 मे स्पष्ट अंकित है कि मन्दिर भूमि पर अतिकमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिकमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेगे जेसे कि राजकीय भूमि पर अतिकमी के विरूद्व करते है तथा मन्दिर मूर्ति के हितो के संरक्षण हेतु दायित्त्वधीन होगे। जिला कलेक्टर मूर्ति मन्दिर की भूमि संबधी अतिकमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियो से नियमति रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निरस्तारण करेगे।

अपीलान्ट्स ने अपील मीमो मे उक्त भूमि पर पूर्व से ही कब्जा होना स्वीकार किया है। अतिकमी बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नही चाहता है और मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 02.12.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)